



न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 65 / बी-121 / 2014-15

आदेश :

(आज दिनांक 16 सितम्बर 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 17.1.2014 को वेस्ता पिता जुझारू उर्फ जोहरसिंह भीलाला निवासी बडाईटारा तहसील जोबट की कृषि कार्य (गोहूँ की फसल में सिंचाई करने के दौरान विद्युत करंट लगने से) मृत्यु हो गई है । मृतक के वारिशान में उसकी पत्नि दीना पति स्व. वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम बडा ईटारा तहसील जोबट को आर्थिक अनुदान राशि रुपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत अनुसार मृतक के वारिशान में उसकी पत्नि दीना पति स्व. वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम बडा ईटारा तहसील जोबट को माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान राशि रुपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाते हैं । म.प्र कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम 7 एवं संशोधित आदेश क्रमांक / बोर्ड / योजना / गै.त. / मृ.कृ.जी.क.यो. / 2171 / भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रुपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है अनुदान राशि आहरण कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे ।

(शेखर वर्मा)

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक.....16/9/2015

पृ0क / 825 / रीडर / 2015

प्रतिलिपि:- (आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ)

- 1- सहायक संचालक ऑंचलिक कार्यालय कृषि विपणन बोर्ड, इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
- 2- प्रभारी अधिकारी (वित्त-2 / राहत शाखा जिला अलीराजपुर ।
- 3- जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 4- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर ।
- 5- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
- 7- तहसीलदार जोबट ।
- 8- सचिव कृषि उपज मंडी जोबट ।
- 9- संबंधित (आवेदक) श्री दीना पति स्व. वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम बडा ईटारा तहसील जोबट की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर